रजिस्ट्री सं० डी० एल०-330 1 99

REGD. NO. D. L.-330 /99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2001/पौष 12, 1922

No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2001/PAUSA 12, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2001

विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश के लिए दिशा-निर्देश

फा. सं. 1/2/94-आई.सी. (खण्ड IV).—विदेशों में संयुक्त उद्यमों और सहायक कम्पनियों में प्रत्यक्ष भारतीय निवेश के लि त्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को समय-समय पर उदार बनाया गया है। वित्त मंत्री द्वारा 2000-2001 के अपने बजट भाषण में गई घोषणा के अनुसरण में विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति को और उदार बनाया गया है तथा भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में नि के ऑटोमैटिक रूट के अधीन अधिकतम सीमा को 15 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 50 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया। उन सी देशों के लिए जहां विदेशों में निवेश के लिए उच्चतर अधिकतम सीमाएं लागू थीं, दिशा-निर्देशों में एक विशेष छूट प्रदान की गई। पड़ौसी में प्रत्यक्ष भारतीय निवेशों के लिए विशेष छूट को जारी रखने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों में प्रत्यक्ष भारतीय नि र्_ संबंधित दिशा-निर्देशों में इस विभाग की दिनांक 31 जुलाई, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए 31 जुलाई, 2(से प्रभावी निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :—

1. पैरा 5.1 और 5.9 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"5.1 एक निजी/सरकारी कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व संदर्भ भेजे बिना ऑटोमैटिक आधार पर विदेशों में किसी क्त उद्यम/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी में 50 (पचास) मिलियन अमरीकी डालर से अनधिक के कुल निवेश मूल्य तक (सी देशों नामतः बंगला देश, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में भारतीय निवेश पर लागू नहीं), पड़ौसी देशों तः बंगला देश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका में भारतीय निवेश के मामले में 75 (पचहत्तर) मिलियन अमरीकी डालर के कुल निवेः ल्य से अनधिक और नेपाल तथा भूटान में रुपया निवेश के मामले में 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रुपए से अनधिक के कुल निवेः ल्य का प्रत्यक्ष निवेश करने की पात्र होगी परन्तु यह कि"

"5.9 ऑटोमैटिक रूट की यह सुविधा भारतीय पक्ष को तीन कैलेण्डर वर्षों जिसमें वह कैलेण्डर वर्ष भी शामिल है जिसमें निवेश ज्या गया है, के ब्लाक में केवल एक बार उपलब्ध होगी। तथापि, 50 (पचास) मिलियन अमरीकी डालर की समग्र सीमा और निवल ाति के 25 प्रतिशत की इसकी हकदारिता के अन्तर्गत पड़ौसी देशों नामतः बंगलादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका में निवेश के मा में 75 (पचहत्तर) मिलियन अमरीकी डालर, नेपाल और भूटान में निवेश के मामले में 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रुपए, भारतीय को विदेशों में एक से अधिक संयुक्त उद्यमों/पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियों में एक से अधिक अवसरों पर ऑटोमैटिक पर इक्विटी में निवेश करने/गारण्टी प्रदान करने आदि की अनुमति दी जा सकती है।"

जी.एस. दत्त, संयुक्त चिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2001

Guidelines for Indian Direct Investment in Joint Ventures and wholly owned subsidiaries abroad

F. No. 1/2/94-I.C.(Vol. IV).—The guidelines for Indian direct investment in joint ventures and subsidiaries abroad issued by the Ministry of Finance has been liberalised from time to time. In pursuance of the announcement made by the Finance Minister in his Budget Speech 2000-01, the policy on overseas direct investment was further liberalised and the ceiling under the automatic route for overseas investments was raised from US$ 15 mn to US$ 50 mn for Indian companies. A special dispensation was provided in the Guidelines for neighbouring countries where higher ceilings were applicable for overseas investments. In order to continue the special dispensation for Indian direct investments in neighbouring countries the Guidelines for Indian direct investments in joint ventures and subsidiaries abroad shall be amended as under with effect from 31st July, 2000, in supersession of this department's notification of even number dated 31st July, 2000 :—

1. Paragraphs 5.1 and 5.9 shall be substituted as under :

"5.1 A private/public limited company will be eligilble for direct investment in a joint venture/wholly owned subsidiary abroad on an automatic basis, without prior reference to RBI up to a total value of investment not exceeding US$ 50 (fifty) million (not applicable to Indian investments in neighbouring countries, namely, Bangladesh, Maldives, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Nepal and Bhutan), in respect of Indian investment in neighbouring countries, namely, Bangladesh, Maldives, Myanmar and Sri Lanka total value of investment not exceeding US$ 75 (seventy five) million and in respect of rupee investment in Nepal and Bhutan, the total value of investment not exceeding Rs. 350 (three hundred and fifty) crores, provided."

"5.9 This facility of automatic route will be available to the Indian party only once in a block of three calendar years including the calendar year in which the investment is made. However, within the overall limit of US$ 50 (fifty) million and its entitlement of 25% of the net worth, US$ 75 (seventy five) million in case of investment in neighbouring countries, namely, Bangladesh, Maldives, Myanmar and Sri Lanka, Rs. 350 (three hundred and fifty) crores in case of investment in Nepal and Bhutan, the Indian party may be permitted to invest in equity/provide guarantee etc. on the automatic route on more than one occasion and in more than one JV/WOS abroad."

G.S. DUTT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054